<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 83 / 2017

श्रीमती जुबैदा बानो बनाम श्रीमती सीता देवी आदि

<u>28.01.2019-</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को सुलह-समझौते हेतु कहा गया परन्तु उभयपक्ष द्वारा सुलह-समझौता से मना किया गया। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादिनी विवादित भूमि की मालिक काबिज दाखिल है?
2. क्या दावा वादिनी धारा 24 व 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से बाधित है?
3. क्या दावा वादिनी धारा 34 व धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
4. क्या वाद अल्प मूल्यांकित है?
5. क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
6. क्या वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

उपर्युक्त के अलावा न तो कोई वाद बिन्दु बनता है और न हीं इस हेतु पक्षकारों द्वारा बल दिया गया हैं। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4 व 5 दिनांक-06.03.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ- चित्रकूट।